(क) क्या यह सच है कि डी. के. बासू बनाम पश्चिमी बंगाल सरकार मामले में 1997 में उच्चतम न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णय के अनुसार किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किये जाने से पहले संबंधित अधिकारी द्वारा पहचान पत्र दिखाया जाना और गिरफ्तारी के पश्चात उसके ठिकाने के बारे में उसके परिवार के सदस्यों को बताना अनिवार्य है;

(ख) क्या यह सच है कि अधिकतर मामलों में विशेषकर अल्पसंख्यकों के मामलों में इस आदेश का अनुपालन नहीं किया जाता है;

(ग) उच्चतम न्यायालय के आदेश का सख्ती से अनुपालन करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है; और

(घ) क्या इसका उल्लंघन करने वाले अधिकारियों को दंड देने के लिए कोई उपबंध है?

**उत्तर**

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री(श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन)

**(क) : जी, हाँ ।**

**(ख) से (घ) : भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के अनुसार “पुलिस” एवं “लोक व्यवस्था” राज्य के विषय हैं और इस प्रकार, अपराध की रोकथाम करने, उसका पता लगाने, उसक पंजीकरण करने, जाँच-पड़ताल करने एवं उस पर अभियोजन चलाने की कार्रवाई करने की जिम्मेदारी प्रमुख रुप से राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों की है । तथापि, भारत सरकार ने दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) अधिनियम, 2005, दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) अधिनियम, 2008 और दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) अधिनियम, 2010 के जरिए दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 में कतिपय संशोधन किए हैं जैसे कि नई धारा 50 क का अंत:स्थापन, धारा 41 का संशोधन और नई धाराओं 41क, 41ख, 41ग का अंत:स्थापन आदि । इन धाराओं में किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करते समय पुलिस द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया का प्रावधान किया गया है । दंड प्रक्रिया संहिता में ये संशोधन “गिरफ्तारी संबंधी कानून” पर विधि आयोग की 177वीं रिपोर्ट की संस्तुतियों के आधार पर किए गए थे । रिपोर्ट तैयार करते समय, विधि आयोग ने डी.के.बसु बनाम पश्चिम बंगाल राज्य के मामले में उच्चतम न्यायालय के दिशानिर्देशों को ध्यान में रखा ।**